भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में वृहस्पतिवार, तिथि २९ अक्टूबर १९५९ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

राज्यपाल से प्राप्त संदेश।

MESSAGES RECEIVED FROM THE GOVERNOR.

DEPUTY SPEAKER : the Deputy Secretary will now read the messages received from the Governor.

DEPUTY SECRETARY : (1) Sir, the Governor of Bihar was pleased to signify his assent on the 24th October, 1959 to the Patna University and the University of Bihar (Amendment) Bill, 1959, as passed by both the Houses of the State Legislature.

(2) Sir, the Governor of Bihar was pleased to signify his assent on the 21st October, 1959 to the Bihar Appropriation (no. 3) Bill, 1959, as passed by both the Houses of the State Legislature.

विधान कार्य: सरकारी विधेयक :

LEGISLATIVE BUSINESS: OFFICIAL BILL.

रांची डिस्ट्रिक्ट टाना भगत रैयत्स ऐग्रीकल्चरल लैंड्स रेस्टोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९५९ (१९५९ की विधेयक संख्या १९)

THE RANCHI DISTRICT TANA BHAGAT RAIYATS AGRICULTURAL LANDS RESTORATION (AMENDMENT) BILL, 1959 (L. A. BILL NO.19 OF 1959).

श्री विनोदानन्द झा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

रांची डिस्ट्रिक्ट टाना भगत रैयत्स ऐग्रीकल्चरल लैंड्स रेस्टोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९५९ को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

रांची डिस्ट्रिक्ट टाना भगत रैयत्स ऐग्रीकल्चरल लैंड्स रेस्टोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९५९ को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विनोदानन्द झा—मैं रांची डिस्ट्रिक्ट टाना भगत रैयत्स ऐग्रीकल्चरल लैंड्स रेस्टोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९५९ को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष—विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

श्री रामदेव सिंह, स० वि० स० के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श ।

DISCUSSION ON THE REPORT OF THE PRIVILEGE COMMITTEE REGARDING SHRI RAMDEO SINGH, M. L. A.

अध्यक्ष—श्री रामदेव सिंह के सम्बन्ध में एक प्रिविलेज मोशन गत सेशन में आया था जो विशेषाधिकार से सम्बन्ध रखता है। इस सम्बन्ध में कार्रवाई हो चुकी है उससे सदस्य लोग अवगत हैं। यह गत सेशन की बात है। सभा में यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था कि यह अगले सेशन में लिया जायगा। इस सम्बन्ध में जो रूल है उसे मैं पढ़ देता हूं। यह रूल ४ है। वह इस प्रकार है—

"4. On the termination of a session by prorogation all pending notices, except those in respect of questions, statutory motions, motions for amendment of the rules, and motions the consideration of which has been adjourned to the next session under these rules, shall lapse;"

सभा के प्रस्ताव की वजह से यह जीवित है, नहीं तो खतम हो गया होता। इस सम्बन्ध में दो प्रस्ताव हैं पहले से। इस सत्र में एक प्रस्ताव श्री कपिलदेव सिंह तथा श्री रमाकान्त झा का आया है। मैं उन्हें पढ़ देता हूं।

"(1) That the House disagrees with the recommendations contained in the report and refers it back with the recommendation to examine Shri Ramdeo Singh and his witnesses."

Shri RAMCHARITRA SINHA : Was it moved ?

SPEAKER : No. It was not moved. It was admitted.

The second motion is as follows :—

"(2) I hereby give notice of my intention to move that the House do agree to the report of the Privilege Committee in relation to the question of privilege raised by Shri Ramdeo Singh."

The third motion has been received jointly from Shri Ramakant Jha and Shri Kapildeo Singh. It runs as follows:—

"That the report in the matter of Shri Ramdeo Singh, M.L.A., be referred back to the Privilege Committee for reconsideration and for submission of a definite report."

I am reading rule 217 (3) for your information. It runs as follows:—

"After the motion under sub-rule (1) is agreed to, the Chairman or any member of the Committee or any other member, as the case may be, may move that the House agrees or disagrees or agrees with amendments with the recommendations contained in the report."

In two cases it implies that the House disagrees....

***Shri RAMCHARITRA SINHA :** Sir, may I say a few words on this matter ? The first motion says; "The House agrees....."

It is a positive motion. The second motion says: "The House disagrees...." and then it proceeds on to say "it be referred back...." It does not seem to me to be consistent to disagree with a particular thing and then refer it back to the Committee. It is not in order. The first motion seems to be in order.

SPEAKER : I am inclined to agree with your view. Both cannot be jumbled together.

***Shri RAM JANAM OJHA** : Sir, if you refer to sub-rule (3) of rule 217 you will find it runs as follows—

"After the motion under sub-rule (1) is agreed to, the Chairman or any member of the Committee or any other member, as the case may be, may move that the House agrees or disagrees or agrees with amendments with the recommendations contained in the report."

In this view of the matter in the first session when we gave notice that this be referred back you were pleased to remark that it was not in order as the motion must contain whether the House agrees or disagrees. That was your ruling then, Sir, and on the basis of that ruling we gave notice of another motion that the House disagrees, which was inconsonance with the spirit of sub-rule (3) of rule 217. After some time a member of the Treasury Bench gave notice of a third motion that the House agrees, ..., etc. This being the position I fail to see any point in the contention of our esteemed colleague Shri Ramcharitra Sinha that the motion running with the words "the House disagrees" is a negative proposition. It is a very positive proposition and incomplete agreement with the rule. Therefore it is in order and as it was given notice of before the motion running with the words "the House agrees....", it should be taken up and when this is taken up, the other one falls.

SPEAKER : No. The other motion shall also be put, and that of Shri Ramakant Jha will also have to be put. But what I am thinking is, you either agree or disagree. How can you disagree and at the same time suggest that it be referred back to the Committee.

Shri RAMCHARITRA SINHA : If you accept that motion, Sir, you may have difficulties. First you will have to put one part, viz. "the House disagrees" and then on the result of that you will have to put the other part. I do not think it would be correct procedure if the House would have to vote twice—first on the disagreement and then on the question of referring it back.

अध्यक्ष—मैंने गत सत्र की कार्यवाही को देखा है। प्रोसीडिंग्स में है कि

पहला मोशन डिसऐग्रीमेंट का है। इसलिये इसको पहले मूव करना होगा। अभी हमलोगों के सामने तीन मोशन्स हैं। डिसऐग्रीमेंट और रेफर बैक, दोनों को मिलाकर नहीं देना चाहिये था।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे क्या स्पिरिट है उसको देखा जाय। श्री रमाकान्त झा के मोशन की स्पिरिट है कि डे फिनिट रिपोर्ट के लिए इसे रेफर बैक किया जाय। हम कहना चाहते हैं कि अगर आप तीनों मोशन को बारी-बारी लेना चाहते हैं तो डिसएग्रीमेंट वाला पहले आयेगा।

मान लीजिये कि एक मोशन रिजेक्ट हो जाय तो दूसरा एग्री करने वाला मोशन आप लेंगे और उस पर वोट लेंगे और यह हुआ कि एग्री करते हैं तो श्री रमाकान्त झा के मोशन के लिए कहां जगह रहती है ?

अध्यक्ष—तीन मोशन हैं, जिनमें दो अपोजीशन के हैं, एक में है कि "रेफर बैक" करेंगे और दूसरे में है कि "हाउस एग्रीज्" और तीसरे में है "डिसएग्रीज"। इन्हें हम किस तरह पुट करेंगे यह हमारा काम है। दो अपोजीशन के हैं, कौन मूव हो यह आपकी ख्वाहिश पर है। श्री रामचरित्र सिंह ने कहा है कि पहला मोशन डिसएग्री का है इसलिये उसी को पहले मूव होना चाहिये। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। दोनों साथ-साथ चले।

Shri RAMCHARITRA SINHA : Sir, I want one information. We are in the state of third reading and now the question arises as to whether we can have amendments in the third reading.

अध्यक्ष—यह अमेंडमेंट्स नहीं हैं बल्कि सभी मोशन्स ही है। कंसीडरेशन मोशन पास हो चुका है।

श्री रामचरित्र सिंह—तो यह थर्ड रीडिंग है। हमने ऐसे ही जानकारी के लिए पूछा था।

अध्यक्ष—माननीय मंत्री, श्री विनोदानन्द झा अब अपना मोशन मूव करें।

श्री विनोदानन्द झा—अध्यक्ष महोदय,

I beg to move:

That the House do agree to the report of Privilege Committee in relation to the question of privilege raised by Shri Ramdeo Singh.

(इस अवसर पर सदन में बहुत शोरगुल हो रहा था।)

श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, सदन में बहुत हल्ला हो रहा है।

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। सदन में शान्ति चाहिए ताकि सभा की कार्यवाही चल सके।

श्री विनोदानन्द झा—अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के साथ-साथ प्रिविलेज कमिटी की रिपोर्ट की उन पंक्तियों को भी मैं पढ़ देना चाहता हूं जो इसके साथ सम्बंधित हैं। प्रिविलेज रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन के पेज पर कमिटी की फाइंडिंग्स में दिया हुआ है कि—

"The Committee have given their careful consideration to the allegations made by Shri Ramdeo Singh, M. L. A., in his letter of the 26th November, 1957 (vide Appendix A) and are of opinion that since the matter is *sub-judice* the question of breach of privilege does not arise and hence no further action is necessary."

अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे माननीय सदस्य को शिकायतें हैं, आरोप हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार की बात है जिसे मैं स्पष्ट हाउस में कह देना चाहता हूं कि यह बहुत ही दुखदाई है और हाउस का कोई सदस्य, चाहे वह उधर बैठते हैं या इधर, ऐसी शिकायतों पर हर्ष प्रगट नहीं कर सकते। लेकिन जिस जगह पर हमलोग हैं और जहां यह केस है उसके सम्बन्ध में कमिटी की जो फाइंडिंग्स और रिपोर्ट है वह आपके असेम्बली रूल्स का रोइटरेशन है। असेम्बली के दो रूल्स इस सम्बन्ध में बड़े ही रेलिवेन्ट हैं।

पहला रूल है नं० १४ जो कहता है कि मोशन के सम्बन्ध में वही रूल होगा जो रेजोल्यूशन को गवर्न करता है और दूसरा रूल है १५९ (२) जिसमें यह है कि—

"No resolution shall be moved in regard to any matter which is under adjudication by a Court of Law having jurisdiction in any part of the Union."

अध्यक्ष महोदय, जो कमिटी की फाइंडिंग्स है, सबजूडिस केसेज के संबंध में जो हाउस के रूल्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, इस मामले में यह रखा गया है कि सारा मैटर अदालत के विचाराधीन है। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इस वक्त इसके सिवाय दूसरी फाइंडिंग्स हो भी नहीं सकती है। हमारे मित्र, श्री रामदेव सिंह को जो शिकायतें हैं, उन्हें मुख्यतः दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है बेल नहीं होना, बेलेर रहते हुए भी बेल नहीं दिया जाना और दूसरा है बेलेर को वेरिफिकेशन के लिये भेज देना। ये सारी चीजें कोर्ट के साथ सम्बन्ध रखती हैं, जूडिशियल प्रोसीडिंग्स के साथ संबंधित हैं। जिस केस की यह बात है उसमें हमारे दोस्त को सजा भी हो गई और हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें है कि मुंसिफ-मजिस्ट्रेट ने इन्हें कंविक्ट कर दिया है और यह भी रिपोर्ट है कि इस विषय में सजा के विरुद्ध जज के पास इन्होंने अपील भी की है। इसलिये इस संबंध में वाजिब या गैर-वाजिब कुछ कहा ही नहीं जा सकता।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अपील में कुछ हुआ है या नहीं?

श्री विनोदानन्द झा—जी नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है।

दूसरा हिस्सा है कि जेल में अब जो गए थे तो उनके साथ किस तरह का सरोकार रहा था, डिवोजन चेन्ज कर देना, जेल में दुर्व्यवहार करना, आदि, आदि। इस संबंध में मुझे कहना है कि प्रिजन्स ऐक्ट के सेक्शन ५२ के मुताबिक इन पर एक केस है। जेल के अधिकारी की शिकायत है कि वे जेल के कानूनों का उल्लंघन करते थे, कैदी का जो बर्ताव होना चाहिए नहीं करते थे, यह सब मामला भी अभी विचाराधीन है। हमारे दोस्त ने इन दोनों विषयों को सामने रखते हुए प्रिविलेज के जूरिसडिक्सन को इवोक (evoke) किया है। उनके समझ में यह प्रिविलेज में इसलिए आता है, कि पुलिस वेरिफिकेशन वहां नहीं हुआ था और वेरिफिकेशन के बाद भी उन्हें जेल में बन्द करके रखा गया और इस तरह सदन के कार्यवाही में उपस्थित होने से गैर-कानूनी ढंग से रोक रखा गया और वे सदन में उपस्थित नहीं हो सके। पहली चीज कि गैर-कानूनी ढंग से रोक रखा गया और सदन में वे उपस्थित नहीं हो सके और सदन के काम में भाग नहीं ले सके, वे as a member सदन में नहीं आ सके यही निचोड़ है प्रिविलेज का। मैं इस शिकायत के औचित्य में प्रवेश नहीं करना चाहता हूं कि इन्टेन्शन्स बोनाफायडी था या मैलिसस। अगर यह प्रोसिक्युशन मैलिसस था और माननीय सदस्य को हैरास (harass) करने के लिये प्रोसेक्युशन किया गया, अगर कोर्ट की फाइंडिंग्स ऐसी हो जाय तो इसका रूप अलग हो जायगा। इसलिए मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि चूंकि दोनों ही विषय अभी अदालत में विचाराधीन हैं, एक में कनविक्शन हो गया है और दूसरे में कनविक्शन के अगेन्स्ट में अपील है, इसलिये इस विषय के औचित्य में जाना हमलोगों के लिये उचित नहीं है। हमारे ख्याल में इस पर विचार करने का स्टेज अभी नहीं है, अगर इस पर विचार करेंगे तो सदन के रूल को औफेन्ड करेंगे। इसलिए असेम्बली के रूल को रिटरेट कर देना है।

अध्यक्ष—जब सबजूडिस नहीं रहेगा तब कनसीडर करेंगे। अगर हाउस यह डिसाइड करे कि यह रेफर बैक हो तो नेक्स्ट टाइम अगर प्रोसिक्यूशन होगा और सबजूडिस होगा तो कनसीडर नहीं करेगी और सबजूडिस नहीं होगा तो कनसीडर करेगी।

श्री विनोदानन्द झा—जब तक सबजूडिस है तब तक कनसीडर नहीं हो सकता है लेकिन जजमेंट हो गया और जजमेंट होने के बाद यदि हमारे माननीय सदस्य को मुक्ति मिल गई तो कंसीडर किया जा सकता है। हमलोग सभी आशा करें कि मुक्ति मिल जाय, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। इस पर यदि अदालत ने होल्ड किया कि मैलिसस था.....

अध्यक्ष—अगर हाउस रेफर बैक कर दे तो सबजूडिस होने से विचार नहीं हो सकेगा।

श्री रामचरित्र सिंह—ऐमेन्डमेंट का मोशन सरकार का है। क्या आप ऐसा संजेस्ट कर रहे हैं?

श्री विनोदानन्द झा—हमने यह नहीं कहा कि रेफर बैक करने के पक्ष में हैं। हमने कहा है कि रेफर बैक करने से भी हमलोगों की हालत वही रहेगी जब तक

यह विषय अदालत में विचाराधीन है। उस पर छानबीन करना रूल को ओफैंड करेगा।

अध्यक्ष—इसका मतलब है कि रेफर बैक करना बिल्कुल बेकार है।

Shri KAPILDEO SINGH : Sir, I beg to move :

That the report in the matter of privilege of Shri Ramdeo Singh, M. L. A., be referred back to the Privilege Committee for reconsideration and for submission of a definite report.

प्रिविलेज कमिटी की रिपोर्ट सदन में है श्री रामदेव सिंह के बारे में। इसके फाइंडिंग्स ऑफ दी कमिटी में दिया गया है कि—

"The Committee have given their careful consideration to the allegations made by Shri Ramdeo Singh, M. L. A., in his letter of the 26th November, 1957 (vide Appendix A) and are of opinion that since the matter is *sub judice* the question of breach of privilege does not arise and hence no further action is necessary."

कहा गया है कि यह सबजूडिस है, लेकिन यह कैसे सबजूडिस है इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जो परिस्थिति है उसमें केवल यह है कि उनको हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी डालकर जेल ले जाया गया। पांच-सात दिन तक "ए" क्लास में जेल में रखा गया और उसके बाद "सी" क्लास में रखा गया, छपरा से ले जाते समय उन्हें थर्ड क्लास में ले जाया गया, फर्स्ट क्लास का पास नहीं दिया गया। उस समय हाथ में हथकड़ी और कमर में रस्सा बांधकर ले जाया गया, असल सवाल यही है। यह सवाल नहीं है कि उनके ऊपर गलत मुकदमा चलाया गया, ऐसा होने पर यह विषय सबजूडिस कैसे है? जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि प्रिविलेज तीन तरह के होते हैं।

एक सदन की ओर से। दूसरा अध्यक्ष का और तीसरा सदस्य का है। जहां मेम्बर के प्रिविलेज का प्रश्न है उसमें सदस्य की प्रतिष्ठा की बात है, उन्हें भी विशेषाधिकार प्राप्त है। अगर कोई मजिस्ट्रेट एक ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह और "सी" क्लास में देकर, हथकड़ी पहनाकर और कमर में रस्सा बांधकर किसी माननीय सदस्य को जेल में भेज देता है और इसके बाद बेलेबुल ऑफेन्स होने पर भी जमानत नहीं देता है और जिसके जमानतदार श्री सभापति सिंह, एम०एल०ए० तथा श्री प्रदुमन सिंह, मोख्तार, सीवान जैसे व्यक्ति हों फिर भी जमानत नहीं दे और नगद रुपया जमानत में देने के लिये कहा जाय तो मैं समझता हूं.....

(शेम शेम की आवाज)

अध्यक्ष—आप एपेंडिक्स ए को पढ़कर, उसके बाद जो आपको कहना हो कहिये।

श्री कपिलदेव सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं पेज १९ में जो श्री रामदेव सिंह, सदस्य की चिट्ठी इस प्रिविलेज मोशन से संबंधित है उसके कुछ अंशों को पढ़ देता हूं:—

"(१) मुझे १३ सितम्बर १९५७ को सीवान एस० डी० ओ० के आदेश पर गिरफ्तार किया गया। जिस अभियोग में मुझे गिरफ्तार किया गया वह सभी बेलेबुल थे। १४ सितम्बर १९५७ को मेरी ओर से जमानत दी गया। जमानत स्वीकार भी सीवान एस० डी० ओ० ने कर लिया लेकिन जमानतदार की योग्यता और अयोग्यता की जांच पुलिस वाले को देकर मुझे छोड़ा नहीं, जेल में रखा गया। उसके बाद जब मैं जेल में था १०७ चला दिया गया। उसके बाद मेरी ओर से पुनः एस० डी० ओ० के यहां श्री सभापति सिंह, एम०एल०ए० तथा श्री प्रदुमन सिंह, मुख्तार, सीवान, जमानतदार हुए लेकिन मुझे उस पर नहीं छोड़ा गया। उसके बाद सीवान के एक धनी-मानी वकील श्री शंकर पांडेय मेरे बेलर हुए लेकिन उसके बाद भी नहीं मुझे छोड़ा गया। जब वह केस ट्रांसफर होकर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के यहां गया तब वहां से तत्काल मुझे बेल पर छोड़ देने का आदेश हुआ लेकिन तौभी सीवान एस० डी० ओ० ने अपने अन्य एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेटों से रोकवा रखा।

(२) मुझे सीवान एस० डी० ओ० ने साधारण बन्दी बनाकर सीवान उपकारागार में भेजा। जेलर ने पुनः वार्डर को भेजकर उनसे अपर क्लास का कैदी बनवाया लेकिन एक हफ्ते के बाद पुनः मुझे साधारण कैदी सीवान एस० डी० ओ० ने बनाया और अपर क्लास कैदी की हैसियत से जो-जो सामान हमें दिया गया था उसे सुपरिंटेंडेंट, उपकारागार, सीवान ने सभी कैदियों के सामने जेलर, सीवान द्वारा छिनवा लिया। विचाराधीन बंदी होते हुए भी मेरी मुलाकात सगे-सम्बंधियों तक कौन कहे मेरे वकीलों तक नहीं होने दिया गया। मेरे केस सीवान कोर्ट में थे लेकिन मुझे सीवान एस० डी० ओ० ने सीवान उपकारागार से छपरा जिला जेल में साधारण कैदी बना भेजा। मुझे थर्ड क्लास का किराया सीवान से छपरा तक का मिला। मुझे पैदल छपरा स्टेशन से सदर एस० डी० ओ० के इजलास पर और वहां से छपरा जिला जेल पर अपने सामान के साथ ले जाया गया। सीवान एस० डी० ओ० के द्वारा यह कार्रवाई लोगों के बीच बेइज्जत करने के लिये हुई।

(३) छपरा जेल में आने के बाद सीवान एस० डी० ओ० ने सीवान उपकारागार अधीक्षक के द्वारा कुछ गुप्त बातें छपरा जेल अधीक्षक के यहां की। उसके बाद छपरा जेल अधीक्षक और छपरा जेलर ने मुझे सेल में साधारण कैदी बनाकर डेढ़ माह तक रखा। वहां भी मेरी मुलाकात रोक रखी गयी और मेरे वकीलों से भी मुझे नहीं मिलने दिया गया।

(४) तिथि ६ नवम्बर १९५७ से बिहार विधान-सभा के अधिवेशन की तिथि निश्चित थी। मुझे ४ नवम्बर १९५७ को छपरा से सीवान, ५ नवम्बर १९५७ के लिये कोर्ट में उपस्थित होने के लिये ले जाया गया। मेरे हाथ में हथकड़ी और डांड़ में रस्सा डालकर छपरा जेल से लाया गया। यहां तक कि मुझे रेल का भाड़ा अपने पास से देना पड़ा। जब मैं सीवान गया उस समय मुझ पर एक कस्टडी वारंट श्री सुल्तान अहमद साहब, थर्ड एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के इजलास का था जिसमें अभियोग सीवान एस० डी० ओ० के इशारे पर अधीक्षक, उपकारागार, सीवान ने ५२ प्रीजन ऐक्ट में कराया था। मैं उसमें बेलर श्री धरीक्षण सिंह, मुख्तार को पहले ही दिया था जो बेल मंजूर भी हो गया था लेकिन उस दिन मुझे उसके बाद भी नहीं छोड़ा गया। इतना ही नहीं, सीवान एस० डी० ओ० ने सेकेंड अफसर श्री डी० पी० सरकार से ता० ५ नवम्बर १९५७ को एक और कस्टडी वारंट मुझ पर दिलाया जिस केस में मैंने इंटेरिम बेल बौंड बहुत पहले दे दिया था और मेरा बेल बौंड देनेवाले सीवान के एक वकील थे। उस केस (मेहदी हसन बनाम जालेश्वर कुर्मी, रघुनाथपुर) में अन्य मुद्दालह लोगों के बेल बौंड को जिसे देनेवाले अननोन व्यक्ति थे पुलिस से जांच नहीं कराया गया लेकिन मेरे बेल बौंड देनेवाले वकील थे फिर भी उनके बेल बौंड को बढ़हरिया पुलिस से वेरीफिकेशन कराया गया और वेरीफिकेशन के बाद भी मुझे जेल में बन्द रखा गया और इस तरह मुझे सदन की कार्यवाही में उपस्थित होने से गैर-कानूनी ढंग पर रोक रखा गया जिससे मैं कई दिन सदन की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो सका।"

अध्यक्ष महोदय, श्री रामदेव सिंह ने विशेषाधिकार समिति में भेजने के लिए अनुरोध किया और चूंकि उनकी बड़ी बेइज्जती की गई थी इसलिये आपने इस प्रश्न को विशेषाधिकार से समिति को भेजा।

प्रिविलेज कमिटी में इसको भेज दिया गया और यह रिपोर्ट कर दिया गया कि मैटर सबजूडिस है, इस पर कमिटी आगे नहीं बढ़ सकती है और इसलिये इसको ड्राप कर दिया। हम आपके द्वारा सरकार से यह जानना चाहते हैं कि किसी सदस्य को जेल भेजा जाय उसको क्लास नहीं दिया जाय, क्लास दिया जाय तो बिना कारण बताये छीन लिया जाय, असेम्बली आने के वक्त आने न दिया जाय, जिस केस में जमानत हो गयी हो उसमें पुनः अननेसेसरी जेल में भेजा जाय, इसमें सदस्य के विशेषाधिकार का हनन हुआ या नहीं?

अध्यक्ष—केस का नम्बर और नाम बतायें।

श्री कपिलदेव सिंह—जब वे जेल में थे उस वक्त १०७ का केस चल रहा था।

अध्यक्ष—श्रीमान् एस० डी० ओ० के आदेश पर खबर किया गया तो वह कौन सा केस था, उसका नम्बर क्या है बतायें ।

श्री कपिलदेव सिंह—सेक्शन १०७ में गिरफ्तारी हुई थी ।

अध्यक्ष—१३ सितम्बर १९५७ को जो केस हुआ उसका नम्बर क्या है ?

श्री कपिलदेव सिंह—अध्यक्ष महोदय, पहली गिरफ्तारी एस० डी० ओ० ने १०७ के अन्तर्गत की । उस केस में एक्वीटल हुआ लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी ने इसकी स्वीकृति के प्रस्ताव को उपस्थित करते हुए बतलाया कि उनको सजा हुई है और अपील की गई है लेकिन जिस मुकदमे में १०७ का केस था उसमें एक्वीटल हो गया ।

डा० श्रीकृष्ण सिंह—हाउस में जो फैक्ट आप देते हैं उसको जरा ठीक से प्लेस कीजिये ।

श्री विनोदानन्द झा—अध्यक्ष महोदय, on a point of information मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि १३ सितम्बर १९५७ को जो अरेस्ट किया गया वह मेरवा लैंड एक्वीजीशन केस में under no. P.S. 69 of 1957 किया गया और उसमें आइ० पी० सी० के सेक्शन १४४, १४७, ४४७, और ३५३ के अन्तर्गत चार्जेज थे ।

(अन्तराल)

अध्यक्ष—एक बात घोषित कर देना चाहता हूं । घोषणा तो मैं एक समाप्त करने के समय भी करता । अभी मैं इसको इसलिये कर रहा हूं कि हो सकता है कुछ माननीय सदस्य बाहर चले जायं और उनको जानकारी न हो सके । इसलिये अभी भी मैं घोषित कर देता हूं । कल सभा की बैठक आठ बजे सबेरे से १२ बजे दिन तक होगी । प्रश्नोत्तर हमेशे की तरह ११ बजे से १२ बजे तक रहेगा । इस तरह जो भी सदस्य बाहर से आयेंगे उनको प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त रहेगा ।

श्री कपिलदेव सिंह—अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या ५ में लिखा गया है कि: "इसके सदस्य यहां सदस्य की हैसियत से तशरीफ नहीं रखते हैं वे यहां न्यायाधीश की हैसियत से आते हैं । उनको हर प्रकार के भाव से बहुत ऊंचा उठकर हर बात को न्याय के साथ देखना होगा । यहां यह सवाल नहीं उठता है कि किसके खिलाफ यह प्रश्न उठाया गया है ।"

अध्यक्ष महोदय, इससे साफ हो जाता है कि जब प्रिविलेज कमिटी में इस सदन के सदस्य बैठते हैं तो न्यायाधीश की हैसियत से बैठते हैं और उनको विचारना चाहिये कि उसके साथ क्या हुआ है, इसको देखना चाहिये ।

अध्यक्ष—देखा ही नहीं गया है।

श्री कपिलदेव सिंह—आपने क्या किया और ये लोग क्या कहते हैं। रिपोर्ट के पृष्ठ २७ में अपेंडिक्स "सी" में श्री प्रभुनाथ सिंह ने प्रश्न किया।

भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ अथवा प्रतिज्ञान ग्रहण

—OATH OF ALLEGIANCE OR AFFIRMATION TO THE CONSTITUTION OF INDIA.

नाम।	निर्वाचन क्षेत्र।
श्री रामनन्दन राय	सोनबरसा।

श्री रामदेव सिंह, स० वि० स० के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श।

DISCUSSION ON THE REPORT OF THE PRIVILEGE COMMITTEE REGARDING SHRI RAMDEO SINGH, M. L. A.

श्री कपिलदेव सिंह—अध्यक्ष महोदय, जब प्रिविलेज कमिटी में इस सदन के सदस्य बैठते हैं तो जज की हैसियत से बैठते हैं। अगर उनके सामने किसी व्यक्ति के साथ हुई घटना पेश हो तो उनको जज की हैसियत से ही उसको देखना चाहिये। इसके सम्बन्ध में जब श्री रामदेव सिंह अपनी बात सुना रहे थे तो इस सदन के एक सदस्य श्री प्रभुनाथ सिंह ने पूछा कि जिस केस पर ये बहस कर रहे हैं वह सबजुडिस है या नहीं, तो आपका आदेश हुआ कि उनके साथ जो ट्रीटमेन्ट हुआ वह कैसे सबजुडिस हो सकता है। श्री नवलकिशोर प्रसाद सिंह ने आपसे पूछा कि किसी मुकदमे के सिलसिले में अगर किसी व्यक्ति ने जमानत के लिए मजिस्ट्रेट के साथ दरखास्त दी और मजिस्ट्रेट ने उस पर जमानत नहीं दी तो क्या यह सबजुडिस नहीं है? लेकिन उसपर भी आपका आदेश हुआ कि मानत तो दिया पर पुलिस के चलते नहीं छूट सके। अगर किसी मजिस्ट्रेट के खिलाफ होता तो सबजुडिस हो सकता था। तो इस तरह आपका फैसला हुआ कि यह विषय प्रिविलेज कमिटी में जाय और उसके अनुसार प्रिविलेज कमिटी बैठी लेकिन प्रिविलेज कमिटी ने रामदेव सिंह की दरखास्त को सामने रखा और उनको बुलाकर पूछना जरूरी नहीं समझा। उनके जमानतदारों तक को बुलाकर पूछना जरूरी नहीं समझा और न जिसके दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में उन्होंने दरखास्त दी थी उसी को बुलाकर कुछ पूछा गया। प्रिविलेज कमिटी की ४-५ बैठकें हुईं और बैठकर फैसला कर दिया गया कि यह सबजुडिस है। अध्यक्ष महोदय, आपका फैसला होता है कि सबजुडिस नहीं है लेकिन प्रिविलेज कमिटी योंही बैठकर फैसला करती है कि यह सबजुडिस है। इससे साबित होता है कि प्रिविलेज कमिटी ने सही तरीके से काम नहीं किया। सभा नियमावली के नियम २१५ के प्रावधान में लिखा है कि "जब प्रतिवेदन उपस्थित करने के लिए सदन ने कोई समय निश्चित नहीं किया हो तब समिति को सौंपने की तारीख से एक माह के भीतर प्रतिवेदन उपस्थित किया जायगा"। तो प्रिविलेज कमिटी को ३० दिन के अन्दर, सदन में रिपोर्ट उपस्थित करना चाहिए था और अगर ३० दिन के अन्दर रिपोर्ट नहीं उपस्थित करे तो उसके लिए भी नियम है कि समय बढाने के लिए प्रस्ताव उपस्थित करे। लेकिन इस प्रिविलेज कमिटी के मेम्बरों ने न

तो सदन में रिपोर्ट ही उपस्थित किया और न समय मांगने की ही कोशिश की। बल्कि वे यह समझ गये कि वे जो कुछ कर रहे हैं वह ठीक है। उन्होंने आप की रूलिंग की भी परवाह नहीं की और साफ कह दिया कि यह विषय सबजुडिस है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जनतंत्र के हित में नहीं है। प्रिविलेज कमिटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था और अगर किया है तो गलत किया है।

अध्यक्ष—प्रिविलेज कमिटी हमारे रूलिंग से बाउन्ड नहीं है।

श्री कपिलदेव सिंह—मैं समझता हूं कि प्रिविलेज कमिटी आप बनाते हैं और आपको इस सदन की मर्यादा की रक्षा करनी है। आप सदन के सर्वोच्च अधिकारी हैं। आपने फैसला किया कि यह सबजुडिस नहीं है तो प्रिविलेज कमिटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रिविलेज कमिटी ने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया। उसने समय पर न रिपोर्ट दी, न समय मांगा और न श्री रामदेव सिंह या उनके जमानतदारों को ही बुलाकर कुछ पूछा। इस सदन के माननीय सदस्य के साथ जो व्यवहार किया गया उसे सद्व्यवहार नहीं कहा जा सकता है। सरकार के एक अफसर ने इस सदन के माननीय सदस्य की मर्यादा की अवहेलना की है। अगर आप इस परम्परा को कायम करेंगे तो ठीक नहीं होगा। जो व्यक्ति ड़ेढ़ लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है उसकी मर्यादा की अवहेलना उचित नहीं है।

अध्यक्ष—आपके कहने का मतलब है कि रिपोर्ट में जो सबजुडिस लिया गया है वह गलत है?

श्री कपिलदेव सिंह—आपके मुंह से जो कहा जाय वह फैसला हो गया और जब आपने फैसला कर दिया कि यह सबजुडिस नहीं है तो उसके खिलाफ प्रिविलेज कमिटी उसे सबजुडिस करार देती है तो मैं कहता हूं कि यह सबजुडिस नहीं है और प्रिविलेज कमिटी ने इसको सबजुडिस गलत कहा है। इस कमिटी ने न तो समय पर एक महीना के भीतर रिपोर्ट उपस्थित किया और न उपस्थित करने के लिए समय की मांग की। सिर्फ प्रिविलेज कमिटी ४-५ बार बैठी और फैसला कर दिया कि यह सबजुडिस है। इसको देखकर यही कहा जा सकता है कि "खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया"! यानि इस पर इतना विवाद हुआ और उसके बाद फैसला हुआ कि सबजुडिस नहीं है, उसी को प्रिविलेज कमिटी ने कह दिया कि सबजुडिस है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, यदि सदन की मर्यादा को रखना है तो सदस्यों को जो विशेषाधिकार प्राप्त है उसका हनन नहीं होना चाहिए और इसके लिए आपही सबसे बड़े संरक्षक हैं। मैं प्रिविलेज कमिटी के सदस्यों से, चाहे वे इधर के हों या उधर के हों और सरकार से कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर उचित ढंग से विचार नहीं किया गया। क्योंकि नियम के अनुसार न तो उसने प्रतिवेदन ही उपस्थित किया और न समय की मांग की।

Shri RAMCHARITRA SINHA : Sir, the hon'ble member should not say "members sitting this side or that side". We are sitting here as a Court.

Shri KAPILDEO SINGH : I am sorry for it.

प्रिविलेज कमिटी के जो सदस्य हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि श्री रामदेव सिंह केवल एक पार्टी के सदस्य नहीं हैं, बल्कि इस सदन के सदस्य हैं। श्री रामदेव सिंह के साथ जो व्यवहार हुआ है वह एक खास व्यक्ति के साथ नहीं किया गया है बल्कि वह व्यवहार जनता के प्रतिनिधि के साथ किया गया है। वह इस सदन के मर्यादा के खिलाफ है। जिस अफसर ने उनके हाथ में हथकड़ी लगायी, उन्हें असेम्बली आने से रोका, असेम्बली के काम में हिस्सा लेने से रोका उसने जनता के सभी प्रतिनिधियों की मर्यादा पर आघात किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रस्ताव रखता हूं कि यह जो सवाल है प्रिविलेज कमिटी की रिपोर्ट श्री रामदेव सिंह के सम्बन्ध में उस रिपोर्ट को अभी पास नहीं किया जाय और पुनः उसी प्रिविलेज कमिटी में भेजा जाय जो इन सारी चीजों पर विचार करे और नया रिपोर्ट नये सिरे से सारी बातों को जांच करके दे।

*Shri **RAMAKANT JHA** : Sir, the matter before the House is a substantial point of privilege in which is involved the personality of Shri Ramdeo Singh, not as an individual, but as a member of this House, as a representative of the people. I feel, Sir, that the Privilege Committee have erred in their judgement. The Committee have not tried to differentiate between the issue of privilege and the cases filed in the court. If they had taken both the things together, they would have come to the conclusion that the question of treatment meted out to the hon'ble member is quite distinct from the cases filed in the court and then the Committee would have come to a right conclusion. That is a serious mistake in the judgement of the Privilege Committee. The cases filed in the court may be *sub judice*, but it has no relation to the question of treatment meted out to Shri Ramdeo Singh, which is altogether a separate question. The question of treatment meted out to the hon'ble member is certainly not *sub judice* and on this score I hold that the Committee have been vitiated in its judgement. I refer to what the Chairman of the Committee has observed on page 16 of the Report:—

"You are sitting here as members of the Privilege Committee. It can consider matter which infringes the privileges of a member. The privileges of a member are defined and you cannot add any thing to them. The members enjoy privileges within the precincts of the House. Outside the Assembly they enjoy no privilege."

Sir, when a member is prevented from taking part in the debate of the House, such an obstruction certainly goes against the privilege of a member to attend to the business of the House. Therefore, I say, Sir, that the Chairman of the Privilege Committee is not correct when he says "outside the Assembly they enjoy no privilege". This is entirely a wrong statement made by the

Chairman of the committee. In this connection I would like to say, Sir, that Shri Ramdeo Singh was obstructed from participating in the business of the House.

SPEAKER : You cannot criticise the opinions of the individual members of the Privilege Committee.

Shri RAMCHARITRA SINHA : Most unfortunately, Sir, what the members said in the Privilege Committee has been given in the Report. The procedure was wrong. The general position is that what transpires in the Committee is not given in the report, for the proceedings of the Privilege Committee are of a confidential nature. But unfortunately the confidential nature of those proceedings was not maintained in the present case. Now that this has already happened, it can't be helped, but in future, Sir, we should not repeat it, for this is bound to create a difficult situation for the members of the privilege committee.

Shri RAM JANAM OJHA : How then will the members discuss the Report and what conclusion will they arrive at if they are debarred from knowing the opinions of the members of the Committee ?

Shri RAMCHARITRA SINHA : I have only pointed out the procedure.

Shri RAM JANAM OJHA : Will the hon'ble member kindly quote the rule on the point ?

Shri RAMCHARITRA SINHA : It is a matter of commonsense and hon'ble members know that the proceedings of Select Committees are not brought before the House, only the Reports of Select Committees are brought before the House.

Shri RAM JANAM OJHA : Here is a book with me, Sir, which is entitled "Report of the proceedings of the meeting of a Privilege Committee of the Bihar Legislative Council". This has been the practice everywhere. So what has been published is quite correct and it was very necessary.

SPEAKER : I don't agree with Shri Ram Janam Ojha. We have committed a mistake, for the confidential nature of the proceedings of the Privilege Committee has not been kept sacrosanct.

Shri RAMCHARITRA SINHA : And that is the practice everywhere, Sir.

SPEAKER : No, that is not the practice everywhere.

Shri RAMCHARITRA SINHA : I know, Sir, what is the practice in the Parliament. But here we do not publish what transpires in a Committee and this should be maintained.

SPEAKER : But you have to give a member of the Privilege Committee an opportunity to defend himself.....

Shri RAMCHARITRA SINHA : I am only suggesting to you, Sir.

SPEAKER : A member who acts under the orders of the House should not be criticised. You may criticise the report as a whole but you should not criticise the opinions expressed by individual members.

Shri RAM JANAM OJHA : We have to discuss the Report which includes.....

SPEAKER : I have already said that there has been a mistake. It is very embarrassing for a member to be criticised for what he has said in a Committee.

I appeal to the members, not as a matter of rule but as a matter of courtesy, not to criticise the opinions of individual members of the Privilege Committee.

Shri RAMAKANT JHA : Sir, I shall not do that, but the whole position is this—whether Shri Ramdeo Singh, as he claims in the letter addressed to you, was obstructed from participating in the business of the House or not. This was the proper issue to be adjudged by the Privilege Committee. This is what Shri Ramdeo Singh has said in his letter addressed to you which forms part of the report of the Privilege Committee. It runs :

> "ये सभी बातें जानबूझ कर इसलिये की गई कि मैंने जनहित में उपरोक्त कार्यवाही के जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ पिछले सदन में अपना विचार व्यक्त किया था और बाहर भी उनकी भ्रष्ट कारवाइयों का विरोध करता आया हूं।"

That is, Shri Ramdeo Singh had said something against the officials of the Siwan Subdivision in the House and therefore the officials of Siwan Subdivision were molesting him so that he may not be able to say anything against them again in the House. In this connection I may refer to May's Parliamentary Practice, page 67, where it is said :

> "The privilege of freedom from arrest or molestation of members of Parliament, which is of great antiquity, was of proved indispensability, first to the service of the Crown and now to the functioning of each House."

The point at issue is this—whether the hon'ble member was molested and whether the action taken against him proved that because he had said something against the officials in the Assembly they had molested him.

The second issue involved is this—though I am sorry to say that the Privilege Committee has not taken any decision on it—whether the hon'ble member was obstructed or not from attending

the session of the Assembly and was kept under detention. As claimed by him in the letter addressed to you he clearly says that he was obstucted from coming to the House and from participating in the day-to-day business of the House. In this connection, Sir, I shall again refer May's Parliamentary Practice to what has been said at p. 123 :

"The attempt to influence members in their conduct by threats is also a breach of privilege."

Now, Sir, if any official comes forward and tries to influence an hon'ble member through threats so that he might not come to the House and say against him anything, then I feel that a genuine case of breach of privilege exists and therefore I request members of the Privilege Committee and the House that they should vote for referring back the whole debate to that Privilege Committee for reconsideration and report. It is not a case of the matter being *sub judice* because it concerns the treatment which was meted out to the hon'ble member. I therefore request the whole House to refer back the matter to the Committee for reconsideration.

*श्री रामानन्द सिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी जो हमारे सामने सवाल है वह बहुत सीधा

है और जितना सीधा होना चाहिए, है। मगर हमलोग उसको थोड़ा कम्प्लीकेटेड बना देते हैं। बाबू रामदेव सिंह के चार्जेज यह हैं कि उनको असेम्बली में आने से रोका गया और इसमें वहां की मजिस्ट्रेसी और पुलिस ने उनको नाजायज तरीके से हिरासत में रखा। सेक्शन ३४२ आइ०पी० सी० का केस है रौंगफुल रिस्ट्रेन्ट। सेक्शन ३५३ बेलेबुल है और ऐसी हालत में जमानत मिलनी चाहिये अगर हम रिजनेबुल जमानत देते हैं और मजिस्ट्रेट सैटीस्फायड होता है।

अध्यक्ष—जो चीज सबजुडिस नहीं है उसी के बारे में कहिए।

श्री रामानन्द सिंह—मैं उसी के बारे में कह रहा हूं। यह केस है ३४२ का जिसको

दो जगह इन्स्टीच्युट कर सकते हैं—either before a court of law or before the Privilege Committee. The Privilege Committee and the court have concurrent jurisdiction. चूंकि हाउस के मेम्बर से संबंधित है इसलिये इसको हाउस में कर सकते हैं और कोर्ट में सेक्शन ३४२ के अन्दर कर सकते हैं और डिफेमेशन के लिये सेक्शन ५०० के अन्दर कर सकते हैं। और उनका एलीगेशन है कि सेक्शन ३४२ और ५०० में जो चार्जेज हुए हैं उसमें १४७ और २५३ के ही केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहां गये हैं और सेक्शन ३४२ और ५०० के नहीं। Now, is the court competent to give any decision in the matter ? दफा ३४२ का भी केस उनके यहां पेंडिंग नहीं है। इसलिये सबजुडिस का क्वेश्चन नहीं है। वह तो सेपरेट एलीगेशन है, सेपरेट इशू है, डेट आफ ऑकरेन्स सेपरेट है, केस आफ ऑकरेन्स सेपरेट है, सब चीज ही सेपरेट है इसलिये वह सेपरेट ऑफेन्स ही है।

दूसरी बात है कि मान लिया जाए कि इस तरह का केस है। तो एक तो जुरीस्डीक्शन कोर्ट का है और दूसरा है प्रिविलेज कमिटी का। तो या तो कोर्ट में फाइल करें या यहां करें, दोनों जगह ही जुरिस्डीक्शन है। Now which of the two is superior, that is the pointto be considered. The Privilege Committee of this House को जो पावर मिला है वह कंस्टीच्युशन से डायरेक्ट मिला है और कोर्ट को जो पावर मिला है वह इस हाउस के ऐक्ट से या पार्लियामेंट के ऐक्ट से मिला है। कंकरेंट जुरिस्डीक्शन होने पर जब कंस्टीच्युशन से पावर इस हाउस को है तो जाहिर है कि कौन सुपीरियर है।

Sir, the whole matter is before you. The members have certain rights and privileges, and we constitute a particular Court, and this Court is superior to any other Court in determining the rights and privileges of the members, if there is any encroachment on them. There is no provision under which this can be withdrawn. I do not know what is the view of the Revenue Minister about it. He may consult his other colleagues, e.g. Shri Patel and Maqbool Saheb. The ground that the matter is *sub judice* does not stand to reason and, therefore, it may be taken up by the Privilege Committee.

Shri RAM JANAM OJHA : Sir, the present case which we are considering just now arises out of a letter addressed to you by Shri Ramdeo Singh, M.L.A. The letter is dated the 26th November 1957 and on the 19th of December 1957, you referred that letter, as a matter of privilege was involved therein to the Privilege Committee, and the report was submitted on the 1st May 1959. The findings of the Committee, as you know, is that "the Committee have given consideration to the allegations, made by Shri Ramdeo Singh in his letter of the 26th November 1957 and are of opinion that since the matter is *sub judice*, the question of breach of privilege does not arise and hence no further action is necessary". The first point is that because the case is *sub judice*, therefore the question of breach of privilege does not arise. It has been said that because the matter is *sub judice*, hence no opinion is to be expressed. This goes to show that because the matter is *sub judice*, the question of privilege does not arise. What I mean to say is that it is ambiguous, defective and vague. Supposing a matter is *sub judice* and in that *sub judice* matter there is a contempt of the House, or encroachment on the right of a member then, in such a matter, the case should be taken up by the Committee after the decision of the Court is known or after the case is disposed of, and the Committee may give the final verdict whether the matter is a fit case for the Privilege Committee or not, but here it is said that because the matter is *sub judice*, the question of breach of privilege does not arise. It seems to me to be meaningless and I suggest that this may be reconsidered.

Now, I would like to draw your attention to page 29—Appendix D—of the minutes of the Committee of Privileges, which runs as follows:—

उस पर श्री रामदेव सिंह ने कहा—

"....मैं आपका ध्यान निम्नलिखित बातों की ओर इसलिये आकर्षित कर रहा हूं कि तत्काल इस संबंध में आवश्यक एवं उचित कार्रवाई की जाय। इन बातों के चलते विधान-सभा के सदस्य की हैसियत से विधानतः जो हमें अधिकार मिला है उसे हनन किया गया, हमारी प्रतिष्ठा पर आघात किया गया तथा सदन में उपस्थित होने से गैरकानूनी तरह से रोक रखा गया।"

There are three allegations—

(1) That he was illegally restrained from attending the meetings of the Assembly;

(2) that he was not given proper and dignified treatment;

(3) that his other rights were encroached upon which have been given to him as a member of the Legislative Assembly.

These are the allegations and according to rule 205 of the Assembly Rules, you were pleased to find that *prima facie*. This was a case of privilege. The matter was referred to the Committee of Privileges, after the sanction of this House. Further on, it has been said that—

"ये सभी बातें जानबूझ कर इसलिये की गयीं कि मैंने जनहित में उपरोक्त कार्यवाही के जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ पिछले सदन में अपना विचार व्यक्त किया था और बाहर भी उनकी भ्रष्ट कार्रवाईयों का विरोध करता आया हूं।"

So Sir, the allegation was that as a consequence of his speech in the Assembly certain treatments were meted out to him which amounted to—

(1) restraining him from attending the House;

(2) according him bad treatment; and

(3) encroaching upon his other rights.

If you refer to Allegation No. (3) Sir, you will find that there is a charge of conspiracy and I want to substantiate it from the report. Allegation (3) says—

"छपरा जेल में आने के बाद सीवान एस० डी० ओ० ने सीवान उप-कारागार अधीक्षक के द्वारा कुछ गुप्त बातें छपरा जेल अधीक्षक के यहां कीं। उसके बाद छपरा जेल अधीक्षक और छपरा जेलर ने मुझे सेल में साधारण कैदी बनाकर डेढ़ माह तक रखा। वहां मेरी मुलाकात रोक रखी गयी और मेरे वकीलों से भी मुझे नहीं मिलने दिया गया।"

Therefore it is clear that the officers there conspired together to give Shri Ram Deo Singh unfair treatment in the sub-jail. And

because of this conspiracy certain other things also happened. If Shri Ram Deo Singh has successfully proved that some treatment which was not due to him ordinarily was meted out to him, and some extra precautions and measures were taken just to harass him and then if it can be established that this was because of his speech in the Assembly then certainly it amounted to breach of privilege of the House. If the contention of Shri Ram Deo Singh was simply this that because he is a member of the Assembly he is immune from arrest or criminal prosecution, I shall be the last person to support such a contention. The law makes no distinction between the highest and the lowest. Even the highest man has to go through the process of law if he commits any criminal act. The process of law should not be discriminatory and if it is discriminatory then you have to examine the whole thing in this High Court of Legislature.

Sir, my contention is that this report of the Privilege Committee is perfunctory because the issues were not framed properly. The point is: How can we say that the issues were not framed properly ? In this regard, Sir, I would like to invite your attention to page 2 of the report. As I have already submitted, the bone of contention in this case is that there was conspiracy and as a result of this, wrong and unfair treatment was meted out to him and so on and so forth. At page 2 the issues framed are—

> "(1) Whether the criminal case initiated against Shri Ramdeo Singh by the Magistracy and Police of Siwan was a direct sequel to the speech delivered long ago by the hon'ble member on the floor of the House."

Now, Sir, I appeal to your conscience and to your good judgment you being the Chief Justice of this High Court of Legislature. The allegation is that because he (Shri Ramdeo Singh) made a speech in the Assembly he was subjected to unfair treatment by the officers who conspired against him. The issue framed is not in consonance with that allegation. It is certainly not the proper framing of the issue, Sir.

The second issue framed is :

> "(2) Whether the Committee of Privileges was competent to adjudge the guilt or otherwise of the hon'ble member in relation to the offences he had been charged with and in particular whether a matter *sub judice* would be examined by it."

Again, Sir, I would like to submit that the Committee was sitting in judgment not to adjudge the guilt or otherwise of Shri Singh. The Committee was to consider the conduct, the approach, the behaviour, the method and the demeanour of some of the

persons who were holding different offices under Government. Here also the issue framed was whether the Committee was competent to adjudge the guilt or otherwise of this hon'ble member who had only complained that certain things were wrongly done to him because he had made a speech in the Assembly.

Then Sir, the third issue framed runs thus :

"(3) Whether the fact that member was not released even though the session of the Assembly commenced from the 6th November, was a prima facie case of breach of privilege of the member."

In this connection I would invite your attention to page 30 and say that the issue should have been framed on his petition. Allegation (4) on Page 30 reads thus :

"तिथि ६ नवम्बर १९५७ से बिहार विधान-सभा के अधिवेशन की तिथि निश्चित थी। मुझे ४ नवम्बर १९५७ को छपरा से सीवान, ५ नवम्बर १९५७ के लिये कोर्ट में उपस्थित होने के लिये ले जाया गया। मेरे हाथ में हथकड़ी और डांड़ में रस्सा डालकर छपरा जेल से लाया गया। यहां तक कि मुझे रेल का भाड़ा अपने पास से देना पड़ा। जब मैं सीवान गया उस समय मुझ पर एक कस्टडी वारंट श्री सुल्तान अहमद साहब, थर्ड एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के इजलास का था जिसमें अभियोग सीवान एस० डी० ओ० के इशारे पर अधीक्षक उप-कारागार, सीवान ने ५२ प्रीजन ऐक्ट में कराया था।

Then he says that although bail petition was granted, he was illegally prevented from attending the House through the executive power of certain officer. I want to ask if this issue is pending for adjudication before any court on earth. I again repeat Sir, that because the issues were wrongly framed, wrong conclusions were arrived at.

Then Sir, if you refer to page 3 of the Report you will find :

"After hearing the members, the Chairman said that everything depended on whether the S.D.O. acted out of malice or acted in pursuance of the criminal case started bonafide against him and that the Committee could deliberate on this aspect of the matter only after the Court had decided the case."

So, Sir, I have eminently made clear that the issues were entirely different from the allegation of the hon'ble member. Therefore the conclusions were perfunctory, baseless and unwarranted.

Now Sir, I would invite your attention to the legal opinion which guided the members of the Privilege Committee. The material placed before the Committee was that as a criminal case

has been instituted and the S.D.O. has taken cognizance of the case.....

SPEAKER : The view held by the Speaker was that as the points referred by Shri Ramdeo Singh were different from the case instituted the matter should be referred to the Committee of Privileges. If the Committee of Privilege took a different view I do not think that the view of the Speaker can prevail.

Shri RAM JANAM OJHA : I agree Sir. So far as the Speaker's ruling is concerned I can only say that a Daniel sat on judgment but so far as the view of this Committee of Privileges is concerned I would say that they have crossed their limits in arriving at their conclusion.

I would quote section 200 from the Criminal Procedure Code. It is like this :

> "A Magistrate taking cognizance of an offence shall at once examine the complainant and the witnesses present, if any, upon oath and the substance of the examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant and the witnesses and also by the Magistrate."

When this matter goes before that Magistrate for trial that Magistrate has a right to discharge the accused. I do not dispute that. The Privilege Committee has a right to agree or to take action or to discharge the accused persons. That power the Privilege Committee has but only after examining certain witnesses and not otherwise. When the Subdivisional Officer refers the case to Magistrate for trial then that Magistrate will examine certain witnesses.

Shri BIRCHAND PATEL : Do you mean to say that the Privilege Committee shall be guided by the provisions of Criminal Procedure Code.

Shri RAM JANAM OJHA : I simply mean that the Privilege Committee was guided by this opinion. I have certainly thrown light from here and not of my own accord. Nowhere does the law say that a Magistrate cannot dismiss a case since the S.D.O. holds that there is a *prima facie* case. This is no where the spirit of the law of the land. If one court holds that *prima facie* case has been proved then the other court will proceed and examine the witnesses and if he feels after examination that there is no sufficient material then the accused person will be released.

Shri BIRCHAND PATEL : How will it apply ?

Shri RAM JANAM OJHA : You have applied it from here. Here in your report it contains that the S.D.O. takes cognizance

and still the other man can say that it is not a *prima facie* case. You therefrom infer that the Privilege Committee has a parallel right. I say that this has been a wrong step by the hon'ble members of the Privilege Committee.

Shri BIRCHAND PATEL : We do not understand your arguments

Shri RAM JANAM OJHA : I will again do it.

SPEAKER : The member may address the Chair. I do not allow repetition.

Shri RAM JANAM OJHA : So far as the meaning of the word *"prima facie"* is concerned, I would like to give the correct meaning of the word from this dictionary.

SPEAKER : On the face of it.

Shri RAM JANAM OJHA : What is generally believed.

Shri BIRCHAND PATEL : If the evidence goes unrebutted the person can be convicted. That is the legal technical meaning of the word *"prima facie* case".

Shri RAM JANAM OJHA : It goes unrebutted, I agree with Mr. Patel. When you said that it was a *prima facie* case, unless it is rebutted no man can say "nay". I want to know who rebutted this allegation. How could the members of the Privilege Committee come to this conclusion ? When this House referred this matter as a *prima facie* case, no man can say 'nay' unless it is rebutted.

Shri RAMCHARITRA SINHA : I think that this case was referred to the Privelege Committee by the Speaker and not by the House. This was suggested to you and not to the House, therefore, the question of the House does not arise. You Sir, perhaps thought that it may or may not be a *prima facie* case, it may go to the Privilege Committee.

SPEAKER : Speaker has the discretion to see whether there is any *prima facie* case or not.

Shri RAMCHARITRA SINHA : It is a subjective thing. No dictionary has any clue for placing any subjective idea.

Shri RAM JANAM OJHA : I do not know if the conclusion of Shri Ramcharitra Sinha is always subjective. But so far as the word *prima facie* is concerned it is never subjective. It is always objective.

SPEAKER : The whole discussion centres round the meaning of the word *"prima facie."* How do you say this ?

Shri RAM JANAM OJHA : It has assumed such an importance. I can tell you from this. Please refer to page 17 of this Report

an extract from the proceedings of the Privilege Committee held on the 8th September, 1958. The Committee came to the decision that it does not consider the case of Shri Ramdeo Singh to be a *prima facie* case of breach of privilege. If you say that the Committee does not consider it a *prima facie* case then I say that this word assumes importance.

SPEAKER : The report is not like that.

Shri RAM JANAM OJHA : The report is perfectly perfunctory.

SPEAKER : Opinions were expressed. Opinions may be different, conclusions may be different.

Shri RAM JANAM OJHA : I said "decision" and you heard the word "conclusion". On the 8th of September the Committee came to decision that it did not consider the case of Ramdeo Singh to be a *prima facie* case of breach of privilege. That was the decision. I am again placing it for two things.

Shri BIRCHAND PATEL : My friend Shri Ojha means that the Committee should have omitted the word, "*prima facie*" and should have held that the Committee did not consider the case as a case of breach of privilege. The word, "*prima facie*" is just an addition which was not at all necessary. Let us omit the word "*prima facie*". From that report the word "*prima facie*" may be omitted.

Shri RAM JANAM OJHA : I think Mr. Patel would agree with me that the Committee should be consistent. Its conclusions should be consistent.

SPEAKER : The result should be allright.

Shri RAM JANAM OJHA : Whether or not the result is all right is a matter of consideration.

Sir, I seek your permission to proceed with my argument.

SPEAKER : How long will you argue ?

Shri RAM JANAM OJHA : So long as I have not been able to finish my argument; but I shall try to finish as early as possible. What I would like to say is that the Committee did not get correct legal advice in the matter. The House held that there was a *prima facie* case of breach of privilege but the Committee held that it was not a *prima facie* case. The second point is that this Committee has been thoroughly inconsistent and there are shifting grounds in the case.

SPEAKER : It is not proper to cast aspersion on members that there was no concentration, no consistency and so on and so forth.

Shri RAM JANAM OJHA : Sir, I would like to say at this stage that let any member of the Committee come forward and say that the draft is consistent with the decision. A decision was arrived at on the 8th September 1958 that it did not consider the case of Shri Ramdeo Singh to be a *prima facie* case of breach of privilege. I have got a copy of the report and it is contained in it.

SPEAKER : I would like to say that you should be courteous to your fellow brothers.

Shri RAM JANAM OJHA : Sir, I am not discourteous to any hon'ble member nor I am critical to any one of them. On the 8th September, the Committee decided that it was not a matter of privilege and no *prima facie* had been established. Sir, I would like to say that your decision is one thing and the draft is altogether a different thing. Thi, reasoning does not fit in this case.

SPEAKER : Where is the inconsistency ? Shri Mahamaya Prasad Sinha has said "If the question is *sub judice* how can it be said that breach of privilege is not involved. It can be said that it does not arise."

Shri RAM JANAM OJHA : You have said that the statement of members should not be quoted. Sir, I am not doing that but I am quoting the decision. I would now proceed to say as to what a Parliamentary Privilege is. Service to the Parliament is service to the society. Therefore a member of a Parliament or a Legislature, if he serves the House, serves the society and he can serve the House only by clearly stating his own feeling by voicing the opinion of the people.

SPEAKER : What is this argument for ?

Shri RAM JANAM OJHA : What I say Sir, is that a member has got to express his opinion here. If he is humiliated or if he is molested who will protect him ? A case was started against him and he was humiliated only because he delivered a speech here. He was not given an opportunity to say anything before the Committee nor was he given an opportunity to produce any evidence before the Committee. Without examining him and without getting any evidence from him the committee made its own conclusion and said that Shri Ramdeo Singh was an accused in a criminal case and there was no *prima facie* case of breach of privilege.

Shri BIRCHAND PATEL : I would like to put a question through you Sir, to Shri Ram Janam Ojha that if a Magistrate rejects it not once but twice or thrice, whether that order of the Magistrate is a judicial order or not ?

Shri RAMANAND SINGH : It is not a judicial order.

Shri BIR CHAND PATEL : I would request the hon,ble member to think over it calmly.

Shri RAM JANAM OJHA : Sir, I am very thankful to Mr.Patel for raising this issue whether the bail order was a judicial order or not. I want to enlighten him and the House on the point as to what is a privilege, because after all it is a question of privilege.

Shri BIR CHAND PATEL : But I sought light on a very very limited matter not on the issue of privilege.

Shri RAM JANAM OJHA : I should like to explain the meaning of the word "privilege". Privilege is " a right, advantage or immunity granted or enjoyed by a person or a body or class of persons beyond the common advantages of others". "An exemption in a particular case from certain burdens of liabilities". Therefore, what is not given to a common man has been given to another man and there lies the definition of the word "privilege". I do not say, Sir, that the question of granting bail or not granting bail is a judicial matter, or not, nor do I say that the question of accepting or not accepting security is a judicial matter or not. It is not my concern. My concern is whether the treatment meted out was discriminatory or not. If it can be established before the Privilege Committee that it was discriminatory then the question of breach of privilege is there.

Shri BIRCHAND PATEL : Sir, so far as my knowledge goes there is no privilege in so far as criminal proceedings are concerned. That is the fundamental position, which stands accepted by the House of Commons. There is no distinction before the eye of law.

Shri RAM JANAM OJHA : Yes Sir, I quite agree with Mr. Patel. And it is for this reason that I say that if there has been no discrimination, there is no question of privilege. Only when it is established that there has been discrimination, the question of breach of privilege arises. Therefore, I say, Sir, that the issues were wrongly framed before the Committee. It was wrongly held that it was not due to his speech in the House. Then Sir, the question of the treatment meted out to Shri Ramdeo Singh is certainly a question of breach of privilege. But you muddle the whole thing and declare it as *sub judice*. I know that in a criminal case any high dignitary, even the Prime Minister or Mr. Patel can be proceeded against in a criminal case and no question of privilege is involved therein.

Shri BIR CHAND PATEL : Actually when I was a Deputy Minister I was going to be prosecuted for some criminal offence, but on enquiry the Police said that I had no hand in the matter.

Shri RAM JANAM OJHA : Therefore, Sir, I appeal that in this case the proper things were not put before the Committee, for we find that Shri Ramdeo Singh was not even allowed to consult his lawyers while in jail custody , a privilege which is available to an ordinary person. I therefore feel that the matter should be re-referred to the same Privilege Committee and issues should be re-framed and reconsidered in the light of what we have just now said in this House.

Before I take my seat, Sir, I may say that on the day the learned Advocate-General came in this House I raised the issue that in a matter of privilege there should be no party and no party whip and that the question has to be examined only on its merit and a decision taken on merit and not on party lines. I appeal to the members to kindly consider, when disposing of this question, whether the matter which was referred to Privilege Committee was properly considered or nor. As the report is perfunctory I hope members will express their opinion against this report as every member is conscious of his duties and responsibilities.

श्री विनोदानन्द झा—अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ध्यान से अपने दोस्तों की बातों को सुना लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे ऊपर इसका कोई ऐसा असर नहीं हुआ। प्रिविलेज कमिटी की जो राय है, जो निश्चित है कि यह मामला विचाराधीन है इसके सम्बन्ध में परिवर्तन होने की कोई गुंजाइश नहीं है। बात यह है कि मैंने जानबूझ कर मेम्बरों के प्रिविलेज के दायरे के सबंध में प्रवेश नहीं किया। संविधान में बतलाया गया है कि हाउस आफ कॉमन्स के जो कायदे हैं, वे कायदे यहां भी लागू होंगे। लेकिन तौभी इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिये कि हमारे संविधान में और जगहों पर भी जूडिशियल बडीज के सम्बन्ध में, विचार के सम्बन्ध में, आदमी पर मुकदमा चलाने के सम्बन्ध में जो कायदे हैं या हाउस के सम्बन्ध में जो कायदे हैं वे गायब हो जाते हैं। इस प्रिंसिपुल को मद्देनजर रखते हुए हमें गौर करना है कि हाउस आफ कॉमंस का जो कायदा है वह संविधान द्वारा संशोधन नहीं हुआ है। इंगलैंड में आर्टिकिल १४१ का कोई कायदा नहीं है। हाईकोर्ट आफ पार्लियामेंट को हक है कि आदमी को लाने, सजा दे और टावर आफ लंदन में रख दे। हमारे यहां है कि ट्रायल की बात होती है तो आर्टिकिल १४१ आता है वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट को पावर है डिक्लेयर करने का, कि कौन कायदा लागू होगा। हमारे यहां संविधान में विचार के मामले को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। तो मैं उस उलझन में प्रवेश करना नहीं चाहता और इसकी अभी जरूरत भी नहीं है कमिटी की रिपोर्ट को सामने रखते हुए। प्रिविलेज का दायरा कहां तक है इस सिलसिले में हमारे दोस्त ने कहा है कि हमारे ऊपर चार्ज इसलिये लगाया गया है कि हम यहां सरकार की समालोचना करते हैं, अधिकारियों की आलोचना करते हैं। इसीलिये हमारे ऊपर केस किया गया है।

श्री रामजनम ओझा—ट्रीटमेंट की बात है।

श्री विनोदानन्द झा—ट्रीटमेंट की बात यदि आप कहते हैं और यदि यह कहते हैं कि समालोचना करते हैं इसलिये केस हुआ तो मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा और आप जरा सोचें कि जो मेम्बर समालोचना नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं उनके साथ यदि इलट्रीटमेंट हो तो प्रिविलेज का जुरिसडिक्शन इवोक कर सकता है या नहीं? आप यही अगर कहते हैं और यही दायरा बतलाते हैं कि चूंकि समालोचना करते हैं इसलिये यह ट्रीटमेंट हुआ तो जो ऐसा नहीं करते हैं उनके साथ पुलिस या मजिस्ट्रेट का ऐसा ट्रीटमेंट हो तो प्रिविलेज के जुरिसडिक्शन में नहीं आ सकता है। मैं आपसे कहता हूं कि आप "पार्लियामेन्टरी प्रोसिड्योर इन इंडिया वाई ए० के० मुखर्जी" को देखें।

अध्यक्ष महोदय, यहां वह चीज नहीं है। यदि समालोचना करने की वजह से विन्डिक्टिव ऐक्शन हुआ या इलट्रीटमेंट हुआ तो वह चीज कहां साबित होनी चाहिए? आपने कहा कि दोनों जगह समानान्तर जुरिसडिक्शन है, हमको हक है कोर्ट में जाने का या हाउस में आने का। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह चीज सही नहीं है। जो चीज कोर्ट ने किया, सिक्युरिटी रिजेक्ट करना यह एरर ऑफ जजमेंट भी हो सकता है और उसे विन्डिक्टिवनेस की शकल भी दी जा सकती है। इसकी रिमेडी लॉ है और हायर कोर्ट में अपील भी हुई है।

Shri RAM CHARITRA SINHA : Sir, I want to know whether the security was demanded by the judicial officer to whom the case was referred or by some other Magistrate who had nothing to do with the case.

श्री विनोदानन्द झा—मैं बहुत नम्रता से कहता हूं कि ट्रायल के लिये जो बॉडी मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस के पास भेज देगा तो वहां सिक्युरिटी डिमान्ड की जा सकती है और यह एक्जिक्युटिव ऐक्शन नहीं होगा। यह हायस्ट क्वार्टर से ऐडवाइज हमलोगों को मिली है।

Shri RAM CHARITRA SINHA : But the law provides that the accused should be released on bail. It is the question of the Magistrate whether he should have given sufficient security or not. You are confusing the two things.

Shri BINODANAND JHA : I am very clear, Sir, The police working under the jurisdiction of the court is taken to be working as part of the judicial machinery and not as a part of the executive machinery.

हुजूर, मैं यह कह रहा था कि दोनों सब्जेक्ट टू अपील हैं। मजिस्ट्रेट की बोनाफायडी इसी से साबित है कि १३ तारीख को हाजत में भेजा और आर्डर शीट भी भेजा कि उन्हें डिविजन दिया जाय। अब इसे जेल में तोड़ा गया तो प्रिजिन्स ऐक्ट की चीज हो जाती है। अब अगर इसके डीटेल्स में जाना चाहते हैं तो प्रिजिन्स ऐक्ट के सेक्शन ५२ के अनुसार देखना होगा कि हायर से लोअर डिविजन जो किया गया है तो यह कानून कहां तक कमजोर था।

कमिटी ने अपनी राय को फिर सोचा और कहा कि मैटर सबजुडिस है। यह देखते हुए कि हमारा हाउस सुप्रीम है और प्रिविलेज मैटर्स में अगर अधिकारियों के

कार्यों के बारे में भी आपको बोलने का या आलोचना करने का अधिकार है तो हम, जबतक कि मैटर्स सबजुडिस हैं, प्रिभिलेज कमिटी की राय मान लें तो अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि हमारे दोस्त अपील में गये हुए हैं वे अगर चाहें तो वहां भी इस प्वायन्ट स को रेज कर सकते हैं कि मजिस्ट्रेट ने इनको बेल नहीं दिया और सरकारी अधिकारियों ने इनके साथ नाजायज किया। उसकी रेमेडी के लिये वह एक फोरम है। तो इसके माने यह हुआ कि हमारे दोस्त एक जगह एक पार्टिकुलर रेमेडी के लिये जाते हैं और दूसरी जगह दूसरी रेमेडी के लिये। इसमें सिवा कन्फिलिक्ट होने के, एक द्वन्द्व होने के, कोई फायदा नहीं होगा। यह इनको चाहिये कि अभी वहीं साबित करें कि प्रोसिक्युशन मैलिसस है और गलत है और इसलिये उनको हैरास नहीं किया जाना चाहिये। अगर इनके पास सबूत हो जाता है तो सदन के हाथ में भी अधिकारियों को दुरुस्त करने के लिये या उनकी देखभाल करने के लिये, कोई सुझाव देने का हक रहेगा। इसलिये मैं कहूंगा कि अभी हम डाइरेक्ट कोई कार्रवाई इसके सम्बन्ध में नहीं कर सकते हैं। इसके लिये हमें चाहिये कि बुनियाद हो। मैं इस बात को मानता हूं कि माननीय सदस्यों का भी अपना व्यक्तित्व है और प्रिभलेज का दायरा है लेकिन हमको भी चाहिये कि असेम्बली रूल्स के मुताबिक इन्साफ के साथ चलें और उसका उल्लंघन नहीं करें। इसलिये मैं श्री राम चरित्र बाबू के विचार से सहमत हूं और मैं फिर भी यह दुहराता हूं कि जो घटना माननीय सदस्य के साथ हुई है वह एक दुःखद घटना है। लेकिन पहले इसके कि हाउस कोई फैसला दे मैं माननीय सदस्य से कहूंगा, और जैसा कि मैंने ऊपर कहा भी है, अच्छा होगा कि उसके बुनियाद तक पहले पहुंचें। जहांतक प्रिभिलेज कमिटी की यह रिपोर्ट है और उस पर ऐग्री करने के लिये प्रस्ताव लाया गया है, मैं नम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि उस पर आपलोग ऐग्री करें।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, वोट से अगर इसका फैसला होगा तब क्या होने-वाला है हम जानते हैं। जैसा कि हमलोगों ने शुरू में निवेदन किया है कि यह प्रश्न इतना इन्नोसेन्ट है और इतना सिम्पुल है कि इसको रिकंसिडरेशन के लिये रेफर किया जाना चाहिये। दूसरी बात यह है कि इसके बाद अगर कोर्ट में यह केस ६ महीना या साल भर पड़ा रह जाता है तो फिर इस हाउस को रेफर करने का प्रश्न नहीं आयगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक फिर नया मोशन आपके सामने रिकंसिडरेशन के लिये लाना पड़ेगा। इसलिये जैसा कि मैंने कहा है कि यह सवाल इतना सिम्पुल और इन्नोसेन्ट है और इसमें एक सदस्य की डिगनिटी का प्रश्न है, इसलिये मैं आपसे और माननीय मंत्री श्री विनोदानन्द झा से आग्रह करूंगा कि श्री कपिलदेव सिंह के रिकंसिडरेशन के प्रस्ताव को मान लिया जाय और प्रिभिलेज कमिटी की जो रिपोर्ट है उस पर वोट नहीं लिया जाय।

अध्यक्ष—रूल ३५ को देखिये उसमें लिखा है—

"Except as otherwise provided in these rules a matter requiring the decision of the Assembly shall be decided by means of a question put by the Speaker on a motion made by a member."

Shri RAMCHARITRA SINHA : The motion which the Hon'ble Minister has moved on behalf of the Privilege Committee is now

the property of the House and it can be decided only by putting it to vote.

श्री विनोदानन्द झा—मैं समझता हूं कि हमारा स्थान और प्रिभिलेज कमिटी का स्थान एक ही है। उसका डिसिशन हाउस के डिसिशन के समान है। उसके हर सदस्य, चाहे वे किसी पार्टी के हों, उनके सामने एक दिक्कत यही पैदा होगी कि यह मैटर सबजुडिस है और जबतक कि कोर्ट का इस पर फैसला नहीं हो जाता है हम सबके लिये एक उलझन पैदा हो जायगा। प्रिभिलेज कमिटी के सदस्यों की सम्मिलित राय इस सदन की राय के समान है। और इसलिये मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि जब प्रिभिलेज कमिटी ने यूनैनीमसली रिपोर्ट दी है तो उसको हम गलत मान लें और फिर उसके पास रिकंसिडरेशन के लिये भेजें तो यह उचित नहीं होगा। इसलिये जबतक यह केस सबजुडिस है और कोर्ट का डिसिशन नहीं हो जाता है तबतक के लिये जो प्रिभिलेज कमिटी ने निर्णय किया है उसको हम मान लें।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, उस पर हाउस ने तो कोई राय नहीं दी है। मैं यह नहीं कहता कि प्रिभिलेज कमिटी की जो रिपोर्ट है वह गलत है। मैं तो सिर्फ अपील करता हूं कि रेफर बैक फौर रिकंसिडरेशन का जो प्रस्ताव है उसको मान लिया जाय। इसलिये हम कह रहे हैं, हम आपको प्रेस नहीं कर रहे हैं, कंडेम्न भी नहीं करना चाहते हैं। रिपोर्ट के बारे में कोई डिसएग्री नहीं कर रहे हैं। सिर्फ रिक्वेस्ट हमलोगों का है कि इसको री-रेफर कर दिया जाय उसी कमिटी को। हमलोगों की मनोभावना पर विचार करते हुए, किसी पार्टी विशेष का ख्याल न करते हुए, आप मेहरबानी करके इसको स्वीकार कर लीजिये।

श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सदन के नेता हैं और श्री कर्पूरी ठाकुर ने जिन बातों को कहा है उनपर हमारे सदन के नेता, जो इस कमिटी के चेयरमैन हैं, विचार करें इसलिये कि एक माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा की बात है। हमलोग यह नहीं कहते हैं कि प्रिविलेज कमिटी में जाकर शीघ्र ही इसका फैसला हो जाय। हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि इसको प्रिविलेज कमिटी में रेफर बैक कर दिया जाय, फैसला चाहे जिसके पक्ष में हो, हमलोग सभी मान लेंगे। लेकिन इसको अवश्य स्वीकार कर लें। इन शब्दों के साथ मेरा माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन है कि वे इन बातों पर विचार करें।

डा० श्रीकृष्ण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा सवाल है कि इसको प्रिविलेज कमिटी में जाना ही नहीं चाहिये था क्योंकि यह सबजुडिस है और अभी भी यह सवाल सबजुडिस है और प्रिविलेज कमिटी में जाने योग्य नहीं है। इसलिये मैं कैसे कह सकता हूं कि इसको प्रिविलेज कमिटी में भेज दिया जाय।

अध्यक्ष—हमसे यह निवेदन किया गया है कि जो मूव्हर हैं उनको साइट आफ रिप्लाई दिया जाय। इसके लिये रूल २१९ अप्लाई करता है।

"219. Regulation of procedure.—The Speaker may issue such directions as may be necessary for regulating the procedure in connection with all matters connected with the consideration of the question of privilege either in the Committee or in the House.

यह मेरे ऊपर है तो मैं उनको यह अधिकार देता हूं कि वे पांच मिनट में अपना जवाब दें और उसी सिलसिले में माननीय मंत्री को भी उसका उत्तर देने का हक है। मैं पांच मिनट उनको भी समय दूंगा और उसके बाद सभा की राय ले ली जायगी।

श्री कर्पूरी ठाकुर—माननीय सदस्य जो बोलने के लिये उठे हैं उनको बोलने दिया जाय और ज्योंही चार बजे उनको रोक दिया जाय और फिर दूसरे दिन इसको रखा जाय।

डा० श्रीकृष्ण सिंह—यह तो अच्छा किया? अध्यक्ष महोदय ने मेहरबानी करके टाईम दिया और उस आधार पर डेढ महीना और चलाना चाहते हैं।

श्री कपूरी ठाकुर—टाईम की मांग की गई, कोई दया की मांग नहीं की गई, रूल रूल के मुताबिक ही टाईम की मांग की गई और वह मिला।

डा० श्रीकृष्ण सिंह—उससे झगड़ा नहीं है लेकिन इस आधार पर एक डेढ़ महीना इसको बढ़ा दिया जाय, ठीक नहीं है।

श्री कपूरी ठाकुर—हमलोगों ने नियम बनाया चार बजे का और उसको पालन करना चाहिए।

अध्यक्ष—जो नियम है वह तो है ही लेकिन यदि माननीय सदस्य १० मिनट अधिक बैठ जायेंगे तो इससे किसी को इन्कार नहीं होगा।

श्री रामचरित्र सिंह—अगर दस मिनट में ५ मिनट मूव्हर बोलेंगे और उसके बाद सरकार चाहेगी तो बोल भी सकती है और नहीं तो नहीं भी बोल सकती है। इसमें कोई एतराज की बात नहीं होनी चाहिए।

श्री कपिलदेव सिंह—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन में उपस्थित है श्री रामदेव सिंह के विशेषाधिकार के प्रश्न का उस पर जो मेरा संशोधन है उसके द्वारा चाहता हूं कि इसको प्रिविलेज कमिटी में भेज दिया जाय। प्रिविलेज कमिटी की ओर से जवाब देते हुए हमारे माननीय राजस्व मंत्री ने जो बतलाया कि जो घटना श्री रामदेव सिंह के साथ घटी उससे सभी लोगों को दुख है लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा यह साधारण सुझाव है कि इसको फिर उसी प्रिविलेज कमिटी में भेज दिया जाय जिसको प्रिविलेज कमिटी के चेयरमैन मानने को तैयार नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, जब समय की बात आती है तो हम अगर इस डिबेट को बढ़ाना चाहते तो प्रिविलेज कमिटी नियमावली के मुताबिक एक महीने में उसकी रिपोर्ट आनी चाहिये थी लेकिन सदन में वह नहीं हुई। उस समय

हमारे चेयरमैन महोदय ने कुछ नहीं कहा लेकिन जब समय बढ़ाने की बात साग्रह हमलोग कहते हैं तो वे हमलोगों को उपदेश देते हैं कि सदन का बहुत समय चला जायगा। श्री रामदेव सिंह के साथ जो घटना घटी है, कल वही घटना हो सकती है उस पक्ष के सदस्य के साथ भी घटे और घटती भी है। सदस्य का जो विशेषाधिकार है और हमारे पंडित विनोदानन्द झा का जो कहना है कि कोर्ट में जाइये, यह बात कोर्ट में माननीय सदस्य श्री रामदेव सिंह द्वारा नहीं लाई गई। अगर इसे प्रिविलेज कमिटी में भेजा जाता तो उसके जो सदस्य उसमें बैठते वे जुडीशियल मेम्बर की हैसियत से बैठते हैं और जूडीशियली फाइन्डिंग्स होती है। वहीं इसको भेजने का सुझाव हमलोगों का है और माननीय सदस्य श्री रामदेव सिंह के साथ जो सलूक किया गया उसके ऊपर विचार वहां किया जाय। केवल एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात खतम करता हूं। इनके जेल मैनुअल में लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय कि—

> Due provision shall be made for the admission times and under proper restrictions, into every prison of persons with whom civil or unconvicted criminal prisoners may desire to communicate, care being taken that, so far as may be consistent with the interests of justice, prisoners under trial may see their duly qualified legal advisers without the presence of any other person.

यह जेल के नियम में है लेकिन जो बड़े-बड़े हिनियस क्राइम करने वाले हैं उनके साथ जेल में जिस तरह से व्यवहार किया जाता है उसी तरह का व्यवहार इनके साथ हुआ, जो समाज के सेवक हैं, जो समाज के हित के लिये काम करते हैं। समाज में आज जो व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है उससे समाज को बचाने के लिए और इस राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पवित्र बनाने के लिये श्री रामदेव सिंह ने इस सदन में भ्रष्टाचार की बातें की थीं और जिनको रंजिश हुई है वह इसलिये कि उनका नाम यहां लिया गया था।

श्री रामदेव सिंह का उद्देश्य सच्चा था लेकिन उसके बाद भी उन को यह सुविधा नहीं मिली कि जेल में वह लीगल एडवाइजर से मिलें और अपने सगे संबंधियों से मिलें। इसलिये मैं आपके माध्यम से अपने संशोधन पर, जो प्रिविलेज कमिटी के पास पुनः भेजने का है, मेम्बरों से पुनः विचार के लिये प्रिविलेज कमिटी के पास भेजने का आग्रह करूंगा।

श्री विनोदानन्द झा—मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस केस में हमारे दोस्त अभी अभियुक्त हैं, वह केस दरअसल ऐसा है कि उसमें अभियुक्त होना किसी भी नागरिक के लिए शोभा की बात नहीं है। हम तहेदिल से मनाते हैं कि उनका क्लीन एक्वीटल हो। सेक्सन १४४, १४७, ४४७ आई० पी० सी० के केस हैं जिनकी छानबीन कोर्ट के माध्यम से ही हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के माध्यम से फैसला हुआ और हमारे दोस्त ने सेशन में अपील की है। हम आशा करते हैं कि वे छूट जायेंगे। यदि अधिकारियों की गलती पायी जायगी तो उनको उचित प्रतिशमेंट मिलेगा।

प्रिविलेज मोशन के बारे में मैं कहता हूं कि यह मामला अभी सबजुडिस है और जैसे प्रजातंत्र में सदन को स्वतंत्रापूर्वक कार्य करने का अधिकार है वैसे ही प्रजातंत्र के लिये यह भी जरूरी है कि न्यायालय स्वतंत्रापूर्वक विचार करें और इंसाफ करे।

इसलिये मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि अभी जो विषय कोर्ट के विचाराधीन है उसमें नहीं जायं। फैसला होने के बाद जो उचित बात होगी, की जायगी।

SPEAKER : The question is;

That the report in the matter of Shri Ramdeo Singh, M.L.A. be referred back to the Privilege committee for reconsideration and for submission of a definite report.

तब सभा निम्न प्रकार विभक्त हुई :—

हाँ

श्री रूपलाल राय।
श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह।
श्री रामदेव सिंह।
श्री सभापति सिंह।
श्री मृत्युंजय सिंह।
श्री देवी लाल जी।
श्री राम जयपाल सिंह यादव।
श्री राम जनम ओझा।
श्री रामानन्द सिंह।
श्री रामसेवक शरण।
श्री देवेंद्र झा।
श्री रामाकांत झा।
श्री कर्पूरी ठाकुर।
श्री लखन लाल कपूर।
श्री बाबूलाल टुडू।
श्री राम चरण किस्कू।
श्री उमेश्वर प्रसाद।
श्री कामदेव प्रसाद सिंह।
श्री बैंजामिन हंसदा
श्री चुनका हेम्ब्रोम।
श्री महेन्द्र महतो।
श्री प्रभुनारायण राय।
श्री कपिलदेव सिंह।
श्री वैद्यनाथ प्रसाद सिंह।
श्री नन्दकिशोर प्रसाद सिंह।
श्री शिव महादेव प्रसाद।
श्री केशव प्रसाद।
श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा।
श्री रामानन्द तिवारी।
श्री दशरथ तिवारी।
श्री बद्री सिंह।
श्री विपिन बिहारी सिंह।
श्री रामाधार दुसाध।
श्री रामअशीष सिंह।
श्री कैलासपति सिंह।
श्री रामेश्वर प्रसाद महया।
श्री नन्दकिशोर सिंह।
श्री मोती राम।
श्री शिशिर कुमार महतो।
श्री हरिचरण सोय।
श्री यतिनन्द्र नाथ रजक।
श्री राम कृष्ण राम।

ना

श्री केदार पांडेय।
श्री नरसिंह बैठा।
श्री जय नारायण प्रसाद।
श्रीमती शकुन्तला देवी।
श्री बिगू राम।
श्री मंगल प्रसाद यादव।
श्री मसूदूर रहमान।
श्री विभीषण कुमार।
श्रीमती प्रभावती गुप्ता।

श्रीमती पार्वती देवी।
श्री अब्दुल गफुर।
श्री जनार्दन सिंह।
श्री राम बसावन राम।
श्रीमती अनूसूया देवी।
श्री कृष्णकान्त सिंह।
श्रीमती राजकुमारी देवी।
श्रीमती उमा पाण्डेय।
श्री मंजूर अहसन अजाजी।
श्री वीरचन्द पटेल।
श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही।
श्री नवल किशोर सिंह।
श्री रामचन्द्र प्रसाद शाही।
श्री जमुना प्रसाद त्रिपाठी।
श्री कपिलदेव नारायण सिंह।
श्री रामगुलाम चौधरी।
श्री नीतीश्वर प्रसाद सिंह।
श्री त्रिवेणी प्रसाद सिंह।
श्री कुलदीप नारायण यादव।
श्री रामनन्दन राय।
श्री महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह।
श्रीमती सुदामा चौधरी।
श्री शेख ताहिर हुसैन।
श्री छोटे प्रसाद सिंह।
श्री देवचन्द्र झा।
श्री रसिक लाल यादव।
श्री राधानन्दन झा।
श्री जयनारायण झा 'विनीत'।
श्रीमती कृष्णा देवी।
श्री महेश कांत शर्मा।
श्री हरिनाथ मिश्र।
श्री हृदय नारायण चौधरी।
श्री जानकी रमण प्रसाद मिश्र।
श्री यदुनन्दन सहाय।
श्री सहदेव महतो।
श्री महावीर राउत।
श्री ब्रजमोहन प्रसाद सिंह।
श्रीमती श्यामा कुमारी।
श्री लहटन चौधरी।
श्री खूबलाल महतो।
श्री उपेन्द्र नारायण सिंह।
श्री योगेश्वर हजरा।
श्री यदुनन्दन झा।
श्री रामनारायण मंडल।
श्री शीतल प्रसाद गुप्त।
श्री कमलदेव नारायण सिंह।
श्री भोला पासवान शास्त्री।
श्री ब्रजबिहारी सिंह।
श्री वासुदेव प्रसाद सिंह।
श्रीमती पार्वती देवी।
श्री बाबूलाल मांझी।
श्री अब्दुल अहद मोहम्मद नूर।
श्री विनोदानन्द झा।
श्रीमती शैलबाला राय।
श्री मंजू लाल दास।
श्री सुखू मुर्मू।
श्री रामजनम महतो।
श्री सैयद मकबूल अहमद।
श्री भोला नाथ दास।
श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल।
श्रीमती सरस्वती देवी।
श्री शीतल प्रसाद भगत।
श्री मौलवी समीनुद्दीन।
श्री राघवेंद्र नारायण सिंह।
श्री पीरू मांझी।
श्री भागवत मुर्मू।

श्री हरि प्रसाद शर्मा।
श्री श्रीकृष्ण सिंह।
श्रीमती लीला देवी।
श्री वासुकीनाथ राय।
श्रीमती लक्ष्मी देवी।
श्री घनश्याम सिंह।
श्री केदार नारायण सिंह आजाद।
श्री सदा मिश्री।
श्री ब्रह्मदेव नारायण सिंह।
श्री सरयू प्रसाद सिंह।
श्री मेंदनी पासवान।
श्री हरिहर महतो।
श्री जगदीश नारायण सिंह।
श्री रामयतन सिंह।
श्री एस० एम० अकील।
श्री बलदेव प्रसाद।
श्री देवगन प्रसाद सिंह।
श्री लाल सिंह त्यागी।
श्री नवल किशोर सिंह।
श्री राम खेलावन सिंह।
श्री जगत नारायण लाल।
श्रीमती मनोरमा देवी।
श्री शमन प्रसाद।
श्री रंगबहादुर प्रसाद।
श्री ललन प्रसाद सिंह।
श्री गंगा प्रसाद सिंह।
श्री राजाराम आर्य।
श्री शिवकुमार ठाकुर।
श्री अली वारिस खाँ।
श्री दुलारचन्द राम।
श्री जगदीश प्रसाद।
श्रीमती मनोरमा पाण्डेय।
श्री कृष्ण राज सिंह।
श्रीमती सुमित्रा देवी।
श्री शिवपूजन राय।
श्री कामेश्वर शर्मा।
श्री मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह।
श्री फिदा हुसैन।
श्री महावीर चौधरी।
श्री रामेश्वर मांझी।
श्री सैयद मुहम्मद कादिरी।
श्री देवधारी राम।
श्री प्रियव्रत नारायण सिंह।
श्री श्रीधर नारायण।
श्रीमती शान्ति देवी।
श्री गनौरी प्रसाद सिंह।
श्री सैयद मुहम्मद लतीफुर रहमान।
श्रीमती राजकुमारी देवी।
श्री चेतू राम।
श्री रामस्वरूप प्रसाद यादव।
श्रीमती मनोरमा सिंह।
श्री रामलाल चमार।
श्री रंगलाल चौधरी।
श्री राम नारायण शर्मा।
श्री हरदयाल शर्मा।
श्री धनंजय महतो।
श्रीमती राजेश्वरी सरोज दास।

पक्ष में—४२
विपक्ष में—१३२
प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(Clapping in the House)

Shri RAM CHARITRA SINHA : I think that the judges should not clap.

SPEAKER : The question is :

That the House do agree to the report of the Privilege Committee in relation to the question of privilege raised by Shri Ramdeo Singh.

The motion was adopted.

सभा शुक्रवार, तिथि ३० अक्टूबर १९५९ के ८ बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की गई ।

पटना :
२९ अक्टूबर १९५९ ।

इनायतुर रहमान
सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

दैनिक निबन्ध

(वृहस्पतिवार, तिथि २९ अक्टूबर, १९५९ ।)

पृष्ठ :

राज्यपाल से प्राप्त संदेश :

राज्यपाल से प्राप्त निम्नांकित संदेशों को सभा उप-सचिव ने पढ़ा :

(१) बिहार के राज्यपाल ने २४ अक्टूबर, १९५९ को बिहार विधान-मंडल द्वारा यथा पारित पटना यूनिवर्सिटी ऐंड यूनिवर्सिटी औफ बिहार (अमेंडमेंट) बिल, १९५९ पर अपनी अनुमति प्रदान की । १

(२) बिहार के राज्यपाल ने २४ अक्टूबर, १९५९ को बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित बिहार ऐप्रोप्रिएशन (नं० ३) बिल, १९५९ पर अपनी अनुमति प्रदान की । १

पुरःस्थापित बिल :

रांची डिस्ट्रिक्ट टाना भगत रैयतस ऐग्रीकल्चरल लैंड्स रेस्टोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९५९ .. १

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर वाद-विवाद :

श्री रामदेव सिंह, स०वि०स० के संबंध में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर वाद-विवादोपरांत सभा ने स्वीकृति प्रदानकी । २—११

भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ : ११—३५

सोनबरसा क्षेत्र से निर्वाचित स०वि०स० श्री रामनन्दन राय ने भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण की । ११

DAILY DIGEST.

(*Thursday, the 29th October* 1959).

	PAGES
Message received from the Governor :	
The Deputy Secretary reported the following messages :	
(1)"The Governor of Bihar was pleased to signify his assent on the 24th October 1959 to the Patna University and the University of Bihar (Amendment) Bill, 1959, as passed by both the Houses of the State Legislature".	1
(2) "The Governor of Bihar was pleased to signify his assent on the 21st October 1959 to the Bihar Appropriation (no 3) Bill, 1959, as passed by both the Houses of the State Legislature."	1
Bill introduced :	
The Ranchi District Tana Bhagat Raiyats Agricultural Lands Restoration (Amendment) Bill, 1959	1
Report of the Privilege Committee :	
Report of the Privilege Committee regarding Shri Ramdeo Singh, M. L. A. adopted by the House.	2—11
Oath of allegiance or affirmation to the Constitution of India :	
Shri Ramnandan Roy, elected from Sonebarsa Constituency was sworn in.	11

बिहार विधान-सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २०२ तथा २०४ के अनुसरण म बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं राजकीय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित ।

बि०स०मु० (एल० ए०) ४६४—मोनो—९००+१—४-५-१९६०—यो० मश्र